भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1602
13/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कृषि ड्रोनों का वितरण

1602. श्री सुभाष बरालाः
श्रीमती ममता मोहंताः
श्री दीपक प्रकाशः
डा. दिनेश शर्माः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री बाबू राम निषादः
श्री मनन कुमार मिश्रः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्रीमती किरण चौधरीः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्रीमती साधना सिंहः
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
श्री चुन्नीलाल गरासियाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जनवरी 2026 तक नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वितरित किए गए कृषि ड्रोनों की संख्या कितनी है;
(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित चालक और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;
(ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्राधिकृत ड्रोन प्रचालन लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है; और
(घ) वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन को किराये पर देने की सेवाओं के माध्यम से आय में वृद्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के उदेश्य से वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'नमो ड्रोन दीदी' नामक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को मंजूरी दी है। उर्वरक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने वर्ष 2023-24 में अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके एसएचजी की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। वितरित किए गए इन 1094 ड्रोनों में से ड्रोन नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत 500 वितरित किए गए हैं। ड्रोन प्राप्त करने वाली ड्रोन दीदियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अधिकृत विभिन्न रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठनों (आरपीटीओ) में ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। जनवरी 2026 तक एलएफसी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ड्रोनों की राज्यवार संख्या और ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या **अनुबंध-I** पर दर्शाई गई है।

बेंगलुरु स्थित कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी) ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत स्थानीय कृषि संगठनों (एलएफसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए 500 ड्रोनों के संचालन की आर्थिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि एसएचजी पहले मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें ड्रोन उपलब्ध किए जाने पर ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनका क्षेत्र आधुनिक कृषि पद्धतियों तक बढ़ गया है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, ड्रोनों को अपनाने से एसएचजी की गतिविधियों में विविधता आई है, कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ है और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़े हैं।

अनुबंध-I

जनवरी 2026 तक एलएफसी द्वारा एसएचजी को वितरित किए गए ड्रोनों की राज्यवार संख्या और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिए गए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	**एलएफसी द्वारा ड्रोन उपलब्ध कराए गए एसएचजी की संख्या और ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	108
2.	असम	28
3.	बिहार	32
4.	छत्तीसगढ	15
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	58
7.	हरियाणा	102
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2
10.	झारखंड	15
11.	कर्नाटक	145
12.	केरल	51
13.	मध्य प्रदेश	89
14.	महाराष्ट्र	60
15.	ओडिशा	16
16.	पंजाब	57
17.	राजस्थान	40
18	तमिलनाडु	44
19.	तेलंगाना	81
20.	उत्तर प्रदेश	128
21.	उत्तराखंड	3
22.	पश्चिम बंगाल	15
कुल		**1094**
